न्यायालय भू प्रबन्ध अधीनस्थकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधीनस्थकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00120 दायरा दिनांक : 06.04.2018

उनवान

1– रघुनाथ आ0 शिवलाल, जाति दांगी, आयु 60 साल
2– मथरी बाई पुत्री औकार, पौत्री शिव लाल, बेवा बापूलाल, जाति दांगी, आयु 50 साल
3– प्रेम बाई पुत्री मोहन लाल, पौत्री शिव लाल, आयु 45 साल
4– मांगी बाई पुत्री मोहन लाल, पौत्री शिव लाल, आयु 37 साल
5– धापू बाई पुत्री मोहन लाल, पौत्री शिव लाल, आयु 35 साल
6– सियाराम पुत्री मोहन लाल, पौत्र शिव लाल, आयु 29 साल
जाति दांगी, निवासीयान ग्राम गिरधरपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राजस्थान
.... अपीलांट

बनाम

1– बापू लाल पुत्र मेहताब, आयु 23 साल
2– कन्हैया लाल आ0 मेहताब, आयु 50 साल
3– श्रीलाल आ0 मेहताब, आयु 45 साल
4– भवंरी बाई पुत्री मेहताब, आयु 50 साल
5– पूरी लाल आत्मज परथी, जाति दांगी, निवासी गिरधरपुरा (मृतक)
5/1 हरकचंद आ0 पूरीलाल, आयु 35 साल
5/2 इन्द्रा बाई पुत्री पूरीलाल, आयु 32 साल
5/3 संतोष बाई पुत्री पूरी लाल, आयु 30 साल
5/4 भूली बाई बेवा पूरी लाल, आयु 52 साल
6– नर सिंहलाल आ0 परथी लाल, आयु 45 साल
7– हजारी लाल आ0 परथी लाल, आयु 40 साल
8– मनोहरलाल आ0 परथी लाल, आयु 38 साल
9– सरदार बाई पुत्री परथी लाल, आयु 50 साल
10– गीताबाई पुत्री परथी लाल, आयु 35 साल
11– रूकमा बाई बेवा परथी लाल, आयु 80 साल
12– नानूराम आ0 भेरू जी, आयु 50 साल
13– बालचंद आ0 भेरू जी, आयु 48 साल
14– भागचंद पुत्र भेरू जी, आयु 41 साल
15– फूलबाई बेवा भेरू जी, आयु 75 साल
16– कालूलाल आ0 भेरू जी, आयु 46 साल
जातिगण दांगी, निवासीयान गिरधरपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
17– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधीनस्थनियम 1955

उपस्थित – श्री चरण सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 31.01.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधीनस्थनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधीनस्थकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 240/प्रा.पत्र/2007 निर्णय दिनांक 19.05.2009 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं धारा 151 जा0 दी0 बाबत रेस्टोर किये जाने दावा वादी पेश कर कथन किया कि उक्त प्रकरण में पिछली

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा।

तारीख पेशी दिनांक 28.05.2007 नियत थी यह प्रकरण पुनः बहस हेतु मुकर्रर था इसमें प्रतिवादीगण की ओर से पूर्व में ही एक तरफा कार्यवाही अमल में ली जाकर वादीगण के बयान लिये जा चुके थे और बहस भी एक तरफा समाअत हो चुकी थी। माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में आवश्यक रेकार्ड भी तलब किया था जिसके पश्चात् यह प्रकरण पुनः बहस हेतु नियत था। पुकार के समय हम वादीगण के वकील साहब अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण तारीख पेशी पर पुकार के समय उपस्थित नहीं हो सके और हम वादीगण भी इस तारीख पेशी को उपस्थित नहीं थे। वकील साहब ने हमें इस तारीख पेशी पर आहूत नहीं किया था। हमारे वकील साहब की उक्त दिनांक 28.05.2007 को अनुपस्थिति दर्ज कर हम वादीगण का वाद अदम पैरवी व अदम उपस्थिति में खारिज फरमा दिया गया है जिसका न्यायहित में पुनः बहस समाअत की जाकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि इस प्रकरण को पुनः रेस्टोर फरमाया जाकर नम्बर पर कायम किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 19.05.2009 से वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादीगण अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16–06–2007 को वाद संख्या 894/2002 में उनवान रघुनाथ – बनाम बापू लाल वगैराह में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 नियम 4 एवं धारा 151 बाबत रेस्टोर किये जाने दावा वादी पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19–05–2009 को वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट माननीय न्यायालय के निम्न कारणों से अपील पेश कर निवेदन करते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आदेश पत्र संग्रह सार के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि पत्रावली में वादीगण के पक्ष में एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी थी तथा वादीगण को वाद में बहस करने का मौका दिया जाना न्यायोचित था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के सिद्वान्त के विपरीत आदेश पारित कर विधि विरुद्ध कृत्य किया है, जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि वादीगण का वाद बहस हेतु नियत था। वादीगण के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी कर रहे थे नियत समय पर व आवाज पर उपस्थित नहीं होना उनकी माकूल वजह रही। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह विधि संगत नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व रेकार्ड व पत्रावली का गहनता से अध्ययन नहीं किया तथा उक्त विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण के दादा व पिता जी शिव लाल जी का राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज है तथा वर्तमान मे वादीगण का ही कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। फिर भी निर्णय पारित कर निर्णय कर कानूनी भूल की है, जो आपस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का सर्वप्रथम ज्ञान अपीलान्ट प्रार्थीगण को दिनांक 30.11.2017 को हुआ जबकि वादीगण राजस्व रेकार्ड के इन्तकाल खुलाने के लिये गये तो ज्ञात हुआ कि वादीगण का राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नहीं है वादीगण अपीलान्ट कानून से अनभिज्ञ है तथा मजदूरी व कार्य के लिये बाहर आते जाते हैं वादीगण अपीलांन्ट के पास विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजी नहीं है यह आराजी ही प्रार्थीगण की मात्र आजीविका का साधन है। आज बिना देरी के अपीलान्ट वादीगण माननीय न्यायालय में बिना देरी अपील पेश कर रहे हैं फिर भी रही देरी का माकूल वजह के लिए धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र सलंग्न है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19–05–2009 अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट को वाद के सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 30.11.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्राथना पत्र आदेश 9 नियम 4 एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश कर वाद संख्या 894/2002 को पुनः नम्बर पर दर्ज करने के लिए पेश किया पूर्व वाद संख्या 894/2002 को निर्णय दिनांक 28.05.2007 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.05.2009 के अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकन किया कि वादीगण उक्त दिनांक 28.05.2007 को उपस्थित नहीं थे तथा वह अन्य न्यायालय में व्यस्त थे यदि वकील साहब अन्य न्यायालय में व्यस्त थे तो उनके मुंशी या अन्य किसी को आवाज पर उक्त न्यायालय में उपस्थित होकर वह बताना था। प्रार्थना पत्र के साथ भी ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिस पर विश्वास किया जा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। वादी अपीलांट ने निर्णय दिनांक 19.05.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 08.04.2018 को अपील पेश की जो गम्भीर रूप से मियाद बाहर है एवं लगभग नौ वर्ष बाद पेश की गई है । नौ वर्ष बाद अपील पेश करने का वादी अपीलांट एवं उनके अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में कोई उचित कारण नहीं बताया और ना ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है। इसी प्रकार वादी अपीलांट ने अपील की मद नं. 4 में यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व रेकॉर्ड व पत्रावली का गहनता से अध्ययन नहीं किया तथा उक्त विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण के दादा व पिता जी शिवलाल जी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है तथा वर्तमान में वादीगण का ही कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है, परन्तु वादी अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथन की पुष्टि हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत् दिनांक 19.05.2009 को निर्णय पारित किया गया है और अपीलांट रघुनाथ पुत्र शिवलाल द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 08.04.2018 को अपील पेश की गई जो लगभग 09 साल मियाद बाहर पेश की गई है । अपीलांट रघुनाथ पुत्र शिवलाल ने मियाद के सम्बन्ध में एक–एक दिन के डिले को साबित नहीं किया है, जबकि मियाद के बिन्दु पर एक–एक दिन के डिले को साबित किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा डिले के सम्बन्ध में किसी प्रकार की साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और ना ही कोई पर्याप्त कारण अवगत करवाये हैं। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी में अपने हित व अधिकार निहित होने की पुष्टि हेतु अपीलांट द्वारा कोई राजस्व रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील सारहीन होने से मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.2009 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/01/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा